पी.बी./आर.टी.आई./59/2018-19
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
प्रधान न्यायपीठ

61/35 कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली - 110001.

दिनांकित : 11.01.2019

अपील नं. 31

श्री सुरेन्द्र सिंह गौतम — अपीलकर्ता

सी.पी.आई.ओ. (न्या.) — प्रत्यर्थी
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण

तथ्य :

अपीलकर्ता द्वारा, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत, यह प्रथम अपील फाइल की गई है । इस अपील के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता ने दिनांक 18.10.2018 के सूचना का अधिकार आवेदन द्वारा, ओ.ए. नं. 4241/2010 की प्रति, श्री ललता प्रसाद का वकालतनामा, ओ.ए. नं. 4241/2010 में पास आदेशों की प्रति तथा आवेदक द्वारा फाइल किए गए दस्तावेजों की प्रति मांगी थी । अपील का आधार, ओ.ए. रिकॉर्ड में आवेदक का नाम अपीलकर्ता के नाम से नहीं मिलना है ।

मैंने अपीलकर्ता के सूचना का अधिकार आवेदन दिनांकित 18.10.2018, सी.पी.आई.ओ. (न्या.) द्वारा दिया गया उत्तर तथा ओ.ए. नं. 4241/2010 के मूल रिकॉर्ड को देखने पर यह पाया है कि सी.पी.आई.ओ. (न्या.) द्वारा अपीलकर्ता को दी गई जानकारी सही है । इसके बाद, मैंने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सरकारी वेबसाइट देखने पर पाया कि वेबसाइट पर अपलोड किया गया आदेश दिनांकित 16 दिसम्बर, 2010 पक्षकारों का नाम "सुरेन्द्र सिंह गौतम एवं अन्य .... (आवेदक विरुद्ध भारतीय संघ तथा अन्य...प्रतिवादी) दिखा रहा है, जिसकी एक प्रति रिकॉर्ड में ले ली गई है ।

मैंने यह पाया है कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किए गए आदेश में त्रुटि है । मूल रिकॉर्ड का शीर्षक (टाइटल) "महेश चंदर एवं अन्य विरुद्ध भारतीय संघ तथा अन्य" है । उप-रजिस्ट्रार (कंप्यूटर) को इस प्रकरण का संज्ञान लेने, यह त्रुटि कैसे हुई तथा तदनुसार इसे सुधारने के लिए निदेशित कर दिया गया है ।

अपीलकर्ता, यदि चाहे तो, इस आदेश के जारी होने के 10 दिन के अंदर, सी.पी.आई.ओ. (न्या.) को प्रज्ञापित कर उपरोक्त जानकारी प्राप्त कर सकता है। सी.पी.आई.ओ. (न्या.) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान अनुसार उक्त जानकारी अपीलकर्ता को उपलब्ध कराएं।

इस प्रकार इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपीलकर्ता इस निर्णय से संतुष्ट न होने की दशा में, इस आदेश के जारी होने के 90 दिन के अंदर, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के अंतर्गत, द्वितीय अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के समक्ष दूसरी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

गौतम मंडल

(गौतम मंडल)
प्रधान रजिस्ट्रार/प्रथम अपील प्राधिकारी

प्रति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह गौतम,
   मण्डी रेलवे कॉलोनी,
   नागदा (मध्य प्रदेश)

2. उप-रजिस्ट्रार (कंप्यूटर), के.प्र.अ., प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई तथा वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने के लिए

3. सी.पी.आई.ओ. (न्या.) को सूचनार्थ एवं आगे की कार्रवाई हेतु, यदि हो